न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/135

रामरतन पुत्र श्री रामनारायण आयु 65 साल जाति गुर्जर निवासी बावडीखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री सी0 वी0 सोरल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 11.03.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट तहसीलदार, लाडपुरा ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रानपुर की आराजी खसरा नम्बर 466 रकबा 0.55 हैक्टर माधो पुत्र कंवरया व बिरधी बेवा कंवरया जाति चमार निवासी बावडीखेडा के नाम दर्ज है । विक्रय पत्र दिनांक 28.03.1974 द्वारा उक्त भूमि कंवरया वल्द कान्हा व माधो वल्द कवरंया जाति चमार द्वारा केता रामनारायण वल्द बज्जा जाति गुर्जर निवासी बावडीखेडा को विक्रय कर दी गई । उक्त विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी के उल्लंघन में हुआ है । उक्त भूमि वर्तमान में माधो पुत्र कंवरया व बिरधी बेवा कवरंया जाति चमार (अनुसूचित जाति) के नाम दर्ज है । विक्रय पत्र के पश्चात् उक्त भूमि पर रामरतन आत्मज रामनारायण जाति गुर्जर (सवर्ण) का

कब्जा काश्त है। अतः धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु दावा प्रस्तुत है ।

3. प्रतिवादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत किया और वादी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2017 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी को सिवायचक घोषित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वाद मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया था इसलिए उक्त वाद मियाद बाहर होने के आधार पर ही खारिज होना चाहिए था । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में बेदखली की मियाद 12 साल की है और विक्रय पत्र दिनांक 28.03. 1974 के बाद लगभग 34 वर्ष बाद दावा पेश किया है । अपीलान्ट ने उक्त आराजी विधिवत रूप से उचित प्रतिफल राशि अदा कर जरिये विक्रय पत्र क्रय की है एवं क्रय की दिनांक से 12 वर्ष तक राज्य सरकार द्वारा या विक्रेता द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही नहीं की गई है । उक्त वाद में जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की थी परन्तु निर्णय बिना तनकीवार पारित किया है जो सीपीसी के आदेश 20 नियम 05 के प्रावधानों के विपरीत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट का दावा मियाद बाहर था । इस कारण मियाद के आधार पर दावा खारिज होना चाहिए था । काश्तकारी अधिनियम के अनुसार धारा 175 के तहत बेदखली की मियाद सन् 1967 में 03 साल थी । सन् 1971 में मियाद 12 वर्ष की गई और सन् 1981 में इसको बढाकर 30 वर्ष किया गया । विक्रय पत्र सन् 1974 का है, दावा 34 साल बाद पेश किया गया है जो मियाद बाहर है । आरआरडी 2007 पेज 235, आरआरटी 2006 (1) पेज 385, आरआरडी 2002 पेज 47 में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किये गये दावे को मियाद की अवधि नहीं बढाई जा सकती और बेदखली का निर्णय पारित नहीं किया जा सकता । अपीलान्ट ने विवादित आराजी सन् 1974 में प्रतिफल देकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है और अपीलान्ट इस पर काबिज काश्त है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि विक्रय धारा 42 बी के उल्लंघन में किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से सरकार के द्वारा

पेश किये गये दावे को स्वीकार किया है । अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2017 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार के द्वारा धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक दावा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष दिनांक 27.07.2007 को पेश किया है और यह कथन किया है कि विक्रय पत्र दिनांक 28.03.1974 के अनुसार भूमि का विक्रय कंवरया वल्द कान्हा व माधो वल्द कवरंया जाति चमार द्वारा रामनारायण वल्द बज्जा जाति गुर्जर निवासी बावडी खेडा को विक्रय किया गया है जो धारा 42 बी के उल्लंघन में है । पत्रावली पर धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.05.2007 के निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न है । नकल जमाबन्दी संवत् 2063–66 नया खाता संख्या 112 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 466 रकबा 0.55 हैक्टर माधो पुत्र कवंरया व बिरधी बेवा कंवरया जाति चमार के खाते में दर्ज है ।

10. वादी की ओर से बयान गुलाम हुसैन कराये गये हैं ।

11. प्रतिवादी की ओर से बयान रामरतन, छोटूलाल एवं रतनलाल कराये गये हैं ।

12. वादग्रस्त आराजी का विक्रय अनुसूचित जाति के व्यक्ति के द्वारा सवर्ण के पक्ष में किया गया है जो धारा 42 बी के उल्लंघन के कारण अवैध है । इस विक्रय के आधार पर क्रेता को किसी भी तरह के अधिकार वादग्रस्त आराजी में प्रदान नहीं किये जा सकते । चूँकि विक्रेतागण वादग्रस्त आराजी का विक्रय कर चुके हैं ऐसी स्थिति में उनके भी कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में अवशेष नहीं रहे हैं । पत्रावली पर संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी माधो वल्द कंवरया, बिरधी बेवा कंवरया जाति चमार के खाते में दर्ज है । इनके द्वारा वादग्रस्त आराजी का सन् 1974 में ही विक्रय किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में उनके वादग्रस्त आराजी में कोई हित शेष नहीं रहे हैं । जहॉ तक क्रेता अपीलान्ट का प्रश्न है वादग्रस्त आराजी उनके द्वारा धारा 42 बी में क्रय की गई है । धारा 42 बी के उल्लंघन में जो विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है उससे क्रेता अपीलान्ट को कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में प्राप्त नहीं होते हैं । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी स्वीकार किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2017 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/3/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/135

रामरतन पुत्र श्री रामनारायण आयु 65 साल जाति गुर्जर निवासी बावडीखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय दिनांक एवं डिक्री दिनांक 11.02.2017 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 204/दावा/2009

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा कोटा ।

——वादी

बनाम

1. माधो पुत्र कंवरया जाति चमार निवीस बावडीखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

2. बिरधी बेवा कंवरया जाति चमार निवासी बावडीखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. रामरतन आत्मज रामनारायण जाति गुर्जर निवासी बावडीखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक एवं डिक्री दिनांक 11.02.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 11.03.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री सी0 वी0 सोरल अपीलान्ट की ओर से एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 11.03.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

11/3/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा